

(☎ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फेक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

## परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No.7/15/2012/आईआरएंडडब्ल्यूIR&W/ 5843

अप्रैल April 28, 2017

## कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के अंतर्गत प्रसव के समय होने वाले खर्च का भुगतान करने हेतु मातृत्व

प्रसृति के प्रभारों में संशोधन।

Subject: Revision of maternity charges for meeting confinement expenses

under CHSS.

वर्तमान में, प्रसूति से संबंधित व्यय के लिए मातृत्व प्रसूति के प्रभारों की प्रतिपूर्ति सीएचएसएस के नियम 10.4, 10.7 तथा 10.10 के तहत उन स्थानों पर की जाती है जहां उपचार पऊवि अस्तपालों को छोड़कर अन्य अस्पतालों से लिया जाता है। चूंकि विभिन्न जगहों पर अलग-अलग अस्पतालों द्वारा प्रभारित दरें एक समान नहीं होती हैं, इसलिए प्रसूति के प्रभारों की प्रतिपूर्ति से संबंधित विषय की जांच सीएचएसएस समीक्षा समिति द्वारा की गई। समिति ने सिफारिश की है कि गृह प्रसूति से संबंधित प्रभारों की प्रतिपूर्ति को वापस ले लिया जाए। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जहां सीएचएसएस सुविधाएं अपने स्वयं के अस्पताल में या रेफरल अस्तपालों में प्रदान की जाती हैं वहां प्रसूति से संबंधित व्यय के लिए मातृत्व प्रसूति के प्रभारों की प्रतिपूर्ति का वर्तमान प्रावधान समाप्त कर दिया जाए। अन्य स्थानों पर और आपात स्थिति में सीजीएचएस दरों को स्वीकार करने की सिफारिश की जाती है।

At present Maternity charges for meeting confinement are reimbursed under Rule 10.4, 10.7 and 10.10 of the CHSS, where treatment is availed from other than DAE Hospitals. Since the rates charged by different hospitals at various locations are not uniform, the issue regarding the reimbursement of confinement charges was examined by the CHSS Review Committee. The Committee has recommended that the reimbursement towards domiciliary confinement charges must be withdrawn. The Committee also recommended to scrap the existing provision of reimbursement of maternity charges for meeting confinement expenses where CHSS provides facility either at own hospital or at referral hospitals. At other stations and in case of emergency case, it is recommended to adopt CGHS rates.

2. इस विषय की जांच सदस्य (वित्त), परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ परामर्श करके की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि गृह प्रसूति के प्रभारों के लिए वर्तमान प्रतिपूर्ति और पऊवि अस्पतालों जहां सीएचएसएस अपनी सुविधाएं स्वयं उपलब्ध कराता है या रेफरल अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराता है, को छोड़कर प्रसूति प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति को समाप्त कर दिया जाए। तथापि, आपाती मामलों में पऊवि अस्पतालों को छोड़कर अन्य अस्पतालों में प्रसूति हेतु सीजीएचएस दरों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति ग्राह्य होगी। सीएचएसएस के नियम 10.4, 10.7 एवं 10.10 वर्तमान में ऊपर दर्शाए अनुसार संशोधित होंगे।